



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.07.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे गैर इरादतन हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 11000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-034/2020 धारा 304/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त रामू केशरी पुत्र ज्वाला प्रसाद केशरी निवासी 30/66 लालजी कुँआ थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-23.07.2024 को माननीय न्यायालय ASJ-I जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त रामू केशरी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 भा0द0वि0 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 506 भा0द0वि0 में 02 वर्ष के कारावास व 1000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।